न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 586 / 2018

कृष्णलाल पुत्र रजीराम जाति कुम्हार निवासी चक 12 एस पी एम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1 दीप सिंह पुत्र लीलू सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एस पी एम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 सोनू उर्फ सुमनदीप कौर पुत्री लीलू सिंह पत्नी जगवीर सिंह जाति मजहबी निवासी बुढीमेडी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
3 मखन सिंह पुत्र मोदन सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एस पी एम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4 कुन्जा देवी पत्नी पूर्णराम जाति सांसी निवासी 14 एस पी एम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5 सुरजा देवी पत्नी मंगूराम जाति सांसी निवासी 14 एस पी एम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मेजर सिंह अधिवक्ता (प्रार्थीगण)
2 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अप्रार्थी सं. 1 व 3
3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 29.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 एस पी एम की जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 10/8 के इन्तकाल संख्या 385 दिनांक 1.7.2016 खाता विभाजन में प्रार्थी के नाम प.न. 5/204 के मु.न. 23 कि.न .19, 20 सालम, कि.न. 11 में 0.052 है. कुल 0.610 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मृतका लीलू सिंह व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 चक 12 एस पी एम मु.न. 22 कि.न 18 ता 25 सालम, प.न. 5/204 मु.न. 23 कि.न. 21, 22 सालम कुल 2.530 हे. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के नाम दर्ज चक 12 एस पी एम खाता संख्या 10/8 प.न. 5/204 मु.न. 23 कि.न. 19, 20 सालम, कि.न. 11 में 0.052 है. कि.न .12 में 0.052 है. कुल 0.610 है. आराजी कृषि कार्य करने हेतू आने जाने के लिये चक 12 एस पी एम मु.न. 26 कि.न. 1 ता 5 के स्वीकृतशुदा रास्ता में से होकर चक 12 एस पी एम के खाता संख्या 43/41 प.न. 5/204 मु.न. 23 कि.न. 22 में से होकर आना जाना पड़ता है। चक 12 एस पी एम के प.न. 5/204 मु.न. 23 कि.न. 22 पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा है तथा प्रार्थी उक्त मु.न. 23 के कि.न. 22 में पुर्व दिशा में 2 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

आराजी को रास्ता के रूप मे उपयोग व उपभोग करता आ रहा था तथा इसकी एवज में प्रार्थी ने अपने नाम से दर्ज आराजी मु.न. 23 के कि.न. 19, 20 प्रत्येक में दक्षिण दिशा में 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को दे रखी थी लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त रास्ता बंद कर दिया है। प्रार्थी के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी में कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी मु.न. 23 कि.न. 22 में पूर्व दिशा में 2 बिस्वा रासता स्वीकृत करवाने के हकदार एव अधिकारी है। प्रार्थीदिनांक 3.7.2018 को चक 12 एस पी एम में पंचायत कर अप्रार्थीगण को कहा कि प्रार्थी के नाम दर्ज उक्त आराजी में आने जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमति प्रदान कर देवे तो अप्रार्थीगण पंचायत के रोबरू स्पष्ट इन्कार हो गये बस यही बिनाये प्रार्थना पत्र है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 12 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 43/41 प.न 5/204 मु.न. 23 कि.न. 22 में पूर्व दिशा में 2 बिस्वा यानि 0.025 है. आराजी में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त 2 बिस्वा रास्ता आराजी का गैरमुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1व 3 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मु.न. 23 के कि.न .1, 2, 9, 10, 11, 12 ,19,20 की आराजी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम संयुक्त खाता में दर्ज कागजात थी एव उक्त मु.न. 23 के कि.न. 3, 4, 5, 6, 7, 8प्रार्थी के परिवार के सदस्यों महावीर , रामेश्वर, साहबराम पिसरान मनीराम के नाम से दर्ज है जो कि प्रार्थी का पिता रजीराम व मनीराम भाई थे एव प्रार्थी उक्त महावीर आदि के नाम दर्ज आराजी के कि.न. 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 5, 4, 3 में से होकर अपने संयुक्त रूप से दर्ज कि.न. 2 में प्रवेश करते थे, प्रार्थी कभी भी हम अप्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में नही आये गये है, एव ना ही प्रार्थी ने कभी भी हम अप्रार्थीगण को आराजी छोड़ी है प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों ने अपना अपना खाता अल अलग कायम करवा लिया है अब प्रार्थी जानबूझकर हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नीयत से उक्त रास्ता की मांग कर रहा है जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने भाईयों के नाम दर्ज रही शेष आराजी के सम्बध में रास्ता बाबत कोई कथन अंकित नही किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी कत्तई स्वच्छहस्त अदालत हाजा में नही आया है प्रार्थी अपने परिवार के सदस्यों से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है, चूंकि प्रार्थी कभी भी चाहे गये रासता से अपनी आराजी में नही गया है। प्रार्थी कभी भी दर्शायी गयी दिनांक या स्थान पर अप्रार्थीगण से नही मिला और ना ही रास्ता स्वीकृत करवाने के सम्बध में कोई बात अप्रार्थीगण को कही प्रार्थी ने महज अपने प्रार्थना पत्र को कानूनी रूप देने के लिये झूठे कथन अंकित किये है जो गलत बयानी होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत बयानी होने के कारण इसी स्टेज पर काबिले खारिजी के है। वगैरा–वगैरा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के हक हिस्सा की आराजी मे चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है एव अगर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी आराजी के बदले में आराजी देने के लिये तैयार है। वकील अप्रार्थी ने विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी अपने भाईयों के साथ सुयक्त रूप से दर्ज आराजी का खाता अलग कायम करवाते समय रास्ता की मांग नही की एव ना ही रासता से आ जा रहा है अप्रार्थीगण केनाम आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज रिकॉर्ड है, प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने मु.न. 23 के कि.न. 22 में से 2 बिस्वा आराजी की मांग की है एव प्रार्थी के हक हिस्सा की कि.न .19 ,20 आराजी अप्रार्थीगण के चिपते हुये है , मुताबिक रिपोर्ट कि.न. 21, 22 के दक्षिण दिशा में डामर सड़क बनी हुयी है एव सड़क से प्रार्थी की आराजी 1 बीघा दूरी पर है एव उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के पास नही है एव इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए के प्रावधानों रास्ता की अत्यंतिक आवश्यकता व वैकल्पिक मार्ग का अभाव दोनो शर्तों को पूरी करता है एव प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रास्ता की ऐवज में आराजी देने हेतू सहमति प्रदान की है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, एव बहस व राजीनामा के आधार पर बखूबी साबित किया है एव मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सादुलशहर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 12 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 43/41 प.न. 5/204 मु.न. 23 कि.न. 22 के पूर्व दिशा में 2 बिस्वा यानि 0.025 हे. रास्ता स्वीकृत किया जाता है, एव अप्रार्थी संख्या 1व 2 की आराजी में कटान हुये रास्ता की ऐवज में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा के चक 12 एस पी एम मु.न. 23 कि.न. 21, 22 के चिपते हुये प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी में से मु.न. 23 कि.न. 19 में 0.013 है. व कि.न. 20 में 0.012 है. कुल 0.025 है. आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं रास्ता की ऐवज में अप्रार्थीगण को दी गयी आराजी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 16:06:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: